तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम आ हुक
26-3-13	वकील उभयपक्ष उप० हैं। T.I. प्रार्थपत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जाय। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न रहे। जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
81/2011	10.10.2011	26.9.2013

फूसिया पुत्र घीस्या, जाटव निवासी वार्ड न0 5 अम्बेडकर धर्मशाला के पास मिर्जापुर, तहसील गंगापुर सिटी ——सायल

बनाम

1. भीमसेन पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर, गंगापुर सिटी
2. प्रकाश पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर, गंगापुर सिटी
3. गजानंद पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर, गंगापुर सिटी
4. शिवनारायण पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर, गंगापुर सिटी
5. छगन पुत्र रामप्रसाद, जाटव निवासी मिर्जापुर, गंगापुर सिटी
6. सरकार जरिये तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री संतोष कुमार वर्मा, एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री संदीप त्रिवेदी, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल ने इस आशय का पेश किया है कि सायल एवं गैर सायलान की कब्जे की भूमि हाल ख0न0 342 रकबा 89 एयर ग्राम हिगोटिया में है जिसमें सायल अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करता आ रहा है। साबिक ख0न0 118 रकबा 11 बीघा ग्राम हिगोटिया था जो दोल्या पुत्र काडया जाति रैगर के नाम थी। सायल के पिता एवं गैरसायलान के बाबा घीस्या ने दोल्या से साबिक ख0न0 118 मे से 3 बीघा भूमि दिनांक 18.7.68 को नकद 500/— रूपये में क्रय की थी। उस समय सायल के पिता घीस्या के तीन पुत्र थे जिनमें रामप्रसाद सबसे बडा था व बालिग था। फूसिया व बाबूलाल नाबालिग थे। सायल के पिता ने रामप्रसाद के बालिग होने के कारण तथा अन्य पुत्र नाबालिग होने के कारण दोल्या से क्रय भूमि का वयनामा रामप्रसाद के हक में करवा दिया। जिस समय वयनामा रामप्रसाद के हक में करवाया उस समय रामप्रसाद ने कहा था जब तक मेरे दोनो भाई नाबालिग है तक तक उक्त भूमि मेरे नाम अंकित रहेगी, दोनो भाईयो के बालिग होते ही उक्त भूमि में से उनके हिस्से की भूमि उनके नाम करवा दूंगा। सायल आज भी अपने हिस्से की भूमि को काश्त करता चला आ रहा है। सायल का तीसरे नम्बर का भाई बाबूलाल लाऔलाद फौत हो चुका है। बाबूलाल के हिस्से की भूमि को सायल व गैरसायलान के पिता रामप्रसाद ने मौके पर बटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में ख0न0 342 रकाबा 89 एयर में मौके पर सायल 1/2 हिस्से पर तथा गैरसायल न0 1 ता 5 उनके 1/2 हिस्से पर काबिज हैं एवं काश्त करते आ रहे हैं। पिता रामप्रसाद की मृत्यु होने के बाद गैरसायल 1 ता 5 के मन में बदनियती आ गई है जिसके कारण गैरसायलान ने सायल को धोखे में रखते हुए सायल के हिस्से की 1/2 भूमि को भी दीगर व्यक्ति को बेच दी जबकि सायल के हिस्से की भूमि को बेचने का गैरसायल 1 ता 5 को कोई अधिकार नही है। सायल आज भी मौके पर काबिज है। दि0 4.9.2011 को सायल अपने हिस्से की भूमि की मेड करवाने गया तो गैरसायल सं0 1 ता 5 ने सायल को मेड नही लगाने दी ओर धमकी दी कि इस भूमि पर तेरा कोई अधिकार नही है और उक्त भूमि को हमने दीगर व्यक्तियो को बेचान कर दिया हैं। अतः गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे हाल ख0 न0 342

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

व्यक्ति को बेचान नही करें ना ही नामान्तरकरण खुलवायें तथा दीगर व्यक्ति या स्वयं गैरसायल नं0 1 ता 5 सायल के कजे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। गैरसायल सं0 6 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह रिकार्ड में किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर गैरसायलान को तलव किया गया ।

गैरसायल संख्या 1 लगा 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि सायल और गैरसायलान के मध्य किसी प्रकार की कोई शामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम हिगोटिया में स्थित नही है। ख0न0 342 रकबा 89 एयर भूमि गैरसायलान के स्व0 पिता श्री रामप्रसाद के स्वयं की खरीद शुदा भूमि है। साबिक ख0न0 118 रकबा 11 बीघा ग्राम हिगोटिया भूमि में से 3 बीघा भूमि गैरसायलान के पिता स्व. श्री रामप्रसाद द्वारा स्वयं खरीदी गई। गैरसायलान के पिता स्वयं रेल्वे कर्मचारी थे। जिन्हाने स्वयं अपने पैसे से उक्त भूमि को खरीदा थी। सायल व उसके वारिसान का उक्त भूमि से कोई संबध नही है। सायल का यह कथन गलत है कि घीस्या के 3 संतान थी, वास्तव में घीस्या के 5 संतानें थी जो रामप्रसाद, प्रभाती, रामखिलाडी, फूसिया व बाबूलाल थे। गैरसायलान के पिता स्व. रामप्रसाद अपने पिता घीस्या की एक मात्र वैध पत्नी की इकलौती संतान थी। गैरसायलान के दादा घीस्या की प्रथम व बैध पत्नी की मृत्यु के पश्चात घीस्या ने दूसरी महिला से नाता विवाह किया था जिससे परभाती व रामखिलाडी पैदा हुऐ। घीस्या ने अपनी दूसरी पत्नी की मृत्यु के पश्चात तीसरी महिला को अपने घर पर रखा जो घीस्या के भाई की विधवा थी। उस तीसरी महिला से फूसिया व बाबूलाल पैदा हुए थे। सायल ने छल पूर्वक गैरसायलान की कब्जे की भूमि पर नाजायज रूप से अपना हक जताकर गैरसायला से पैसा ऐठने की गरज से इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया कि सायल व गैरसायलान के पिता पॉच भाई थे। सायल का यह कथन गलत है कि गैरसायलान के पिता रामप्रसाद के बालिग होने के कारण सायल के पिता घीस्या की खरीदशुदा जमीन का वयनामा गैरसायलान के पिता स्व0 रामप्रसाद के हक में करवा दिया था। वास्तव में उक्त विवादित भूमि गैरसायलान के पिता स्व. रामप्रसाद ने स्वयं के पैसे से खरीदी थी इसलिए उक्त जमीन को सायल व उसके भाई बाबूलाल के नाम करवाने का प्रश्न ही नही उठता है। सायल ने इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया है कि सायल के पॉच भाई थे। जिनमे से परभाती, बाबूलाल व रामप्रसाद फौत हो चुके हैं। उक्त जमीन गैरसायलान के पिता स्व0 रामप्रसाद की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिस पर गैरसायलान का कब्जा है। उक्त भूमि से किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। सायल ने बदनीयतिपूर्वक गैरसायलान से पैसा ऐठने और उपयोग उपभोग की सम्पत्ति को हडपने की नियती से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गैरसायलान के पिता की मृत्यु के पश्चात गैरसायलान उक्त भूमि पर नियमित रूप से काबिज चले आ रहे है। गैरसायलान संख्या 1 ता 5 ने अपने जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि गैरसायलान के दादा घीस्या के 5 औलादें थी। घीस्या की प्रथम व वैधरूप से विवाहिता पत्नि से रामप्रसाद पैदा हुआ। प्रथम पत्नि की मृत्यु के बाद घीस्या ने नाता विवाह किया जिससे परभाती व रामखिलाडी पैदा हुए। दूसरी पत्नि की मृत्यु के बाद घीस्या के सगे भाई सांवलिया की विधवा घीस्या के साथ रहने लगी उसके फूसिया और बाबूलाल पैदा हुए। इनमें से परभाती, बाबूलाल व रामप्रसाद फौत हो चुके हैं। गैरसायलान के पिता रामप्रसाद दिनांक 13.9.47 से दिनांक 31.5.88 तक रेल्वे कर्मचारी रहे थे। इस दौरान रामप्रसाद ने स्वयं की आय से ख0 न0 342 रकबा 89 एयर भूमि खरीदी थी जबकि सायल के पिता तथा गैरसायलान के दादा की मृत्यु सन 1964 में हो गई थी। ऐसे में सायल के पिता द्वारा गैरसायलान के पिता

के रामप्रसाद के हक में जमीन करवाने का प्रश्न ही नही उठता है। पूर्व में भी सायल ने अपने पुत्र के द्वारा उक्त भूमि को अपने हक में करवाने के लिए जे0 एम0 न्यायालय में मुकदमा पेश किया गया था जिसमें माननीय जे0एम0 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया था। सायल स्वच्छ हाथो से न्यायालय में नहीं आया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायल ने नकल छायाप्रति जमाबंदी संवत 2067–2070 पेश की है।

जबाब के समर्थन में गैरसायलान ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

सायल के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित भूमि सायल के पिता घीस्या द्वारा खरीदी गई थी परन्तु उस समय सायल व सायल का भाई बाबूलाल नावालिग था इसलिए जमीन की रजिस्ट्री सायल के पिता ने गैरसायल नं0 1 ता 5 के पिता स्व0 रामप्रसाद के नाम करवा दी थी। रामप्रसाद ने उस समय यह कहा था कि जब सायल व बाबूलाल बालिग हो जावेंगे तो वह उनके हिस्से की भूमि उनके नाम करवा देगा परन्तु सायल व सायल के भाई बाबूलाल के बालिग होने पर रामप्रसाद ने ऐसा नहीं किया । मौके पर सायल का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अब सायल की 1/2 हिस्से की भूमि को गैरसायलान ने बेच दिया है जबकि मौके पर सायल 1/2 हिस्से पर काबिज है। इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित भूमि गैरसायलान के पिता स्व0 रामप्रसाद द्वारा अपने स्वयं के पैसे से खरीदी है एवं यह स्वअर्जित भूमि है जिससे सायल का कोई लेना–देना नहीं है। सायल गैरसायलान की भूमि को जबरन हडपना चाहता है इसलिए उसने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फोटोकोपी नकल जमाबंदी के अनुसार भूमि ख0नं0 342 रामप्रसाद पुत्र घीस्या की खातेदारी में दर्ज है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति साबित होना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले में विवादित भूमि गैरसायल नं0 1 ता 5 के पिता रामप्रसाद की खातेदारी में दर्ज है। इस तथ्य को सायल भी स्वीकार करता है। सायल ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर अपना कब्जा होने का तथ्य अंकित किया है परन्तु इस तथ्य को उसने किसी दस्तावेज से साबित नहीं किया है । विवादित भूमि गैरसायलान के पिता की खातेदारी में दर्ज है एवं जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो भूमि पर कब्जा खातेदार का ही माना जावेगा। इस प्रकार सायल न तो विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है और न ही वह विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर अपना साबित करने में सफल रहा है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में नहीं है । इसी प्रकार जब प्रथम दृष्टया केस ही सायल के पक्ष में नहीं है तो सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी सायल के पक्ष में नहीं जाते हैं । फलस्वरूप सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक 26.9.2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी